न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 211/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 रायब खां पुत्र सुलेखां जाति मुसलमान निवासी सुथारों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री देवीलाल कुमावत, वकील प्रार्थी।
2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 11.08.2023

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 449/235 रकबा 10.14 बीघा भूमि का आया हुआ है जो प्रार्थी का आंवटन दिनांक 23.10.1998 को हुआ तब से प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि तहसीलदार शिव के आदेश क्रमांक राज/98/1090 दिनांक 23.10.1998 से प्राप्त हुई आंवटन समय प्रार्थी को जहां भौतिक कब्जा दिया गया था, वहां पर प्रार्थी का आज भी कब्जा काश्त है। पटवारी हल्का एवं सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना मौके की जाचं किये जो तरमीम की गई है वह गलत है तथा प्रार्थी को आंवटन कब्जा काश्त अनुसार न कर विपरित कर दी गई है जबकि प्रार्थी का कब्जा आवेदन के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड का कम्प्यूटरकरण के दौरान प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही कर गलत अंकित कर दी गई। राजस्व अधिकारियों द्वारा तहसील ऑनलाईन करने के दौरान व अपूर्ण तरमीम पूर्ण करने के दौरान वास्तविक रूप से भौतिक कब्जे का अनदेखा कर वास्तविक तरमीम से भिन्न स्थान पर कर दी गई, जो भौतिक कब्जे के विपरित है। उक्त भौतिक तरमीम के विपरित तरमीम के अनुसार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 449/235 रकबा 10.14 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/2023/1303 दिनांक 19.07.2023 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई कि मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 449/235 रकबा 10.14 बीघा भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड (नक्शा) अनुसार खसरा संख्या 449/235 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए' अनुसार है जबकि प्रार्थी का कब्जा काश्त का नामन्तकरण संख्या 1152 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार मौका स्थिति संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार है, जो प्रार्थी के स्वयं के खेत राजस्व ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा संख्या 424/233 से लगते हुए है। लिहाजा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ 'बी' अनुसार तरमीम दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

किया जाना प्रस्तावित है। खसरा संख्या 449/235 का मूल खसरा संख्या 235 की किस्म गै. मु. ओरण है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2071–2074, नक्शों, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' तथा नामान्तकरण संख्या 1152 का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट के मद्देनजर परिशिष्ठ 'बी' अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी का कब्जा काश्त का नामन्तकरण संख्या 1152 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार मौका स्थिति संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार है। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के मद्देनजर प्रार्थी को आंवटित भूमि मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 449/235 रकबा 10.14 बीघा भूमि की तरमीम तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ "बी" अनुसार है जो प्रार्थी ने स्वीकार किया है। मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 449/235 रकबा 10.14 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ "बी" अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 449/235 रकबा 10.14 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ "बी" अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ए" व परिशिष्ठ "बी" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11·08·2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर